

कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव
(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)
फैक्स नं. 07744-225158,ई-मेल-actd.rajnandgaon@nic.in

क्रमांक / ११० / आजक / आ.ला.पो.मै.छा. / 2020-21 राजनांदगांव, दिनांक 12/08/2021

वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10 वी से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु विज्ञप्ति प्रेस जारी करने बाबत।

—000—

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर Digital माध्यम से सत्यापन किया जाना है।

राजनांदगांव जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, कृषि, उद्यानिकी फॉर्मसी आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10वीं से उच्चतर) में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा, विद्यार्थियों के आधार कार्ड में कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि पता) सुधार हो तो अवश्य करा लेवें साथ ही विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किये गये बैंक खातों की Seeding आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करें।

अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं निवास प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्राप्त करना साथ ही जिन विद्यार्थियों का पूर्व में ऑफलाईन उक्त प्रमाण पत्र तैयार है वे ऑनलाईन अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास, राजनांदगांव